

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/2385
दिनांक : 06.01.2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय:- नेशनल स्कॉलरशि पोर्टल 2019-20 में संस्थाओं का री-रजिस्ट्रेशन कराए जाने के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-भा0स0-43/सत्तर-3-2019 के संदर्भ में भा0स0-28/सत्तर-3-2019-07-(47)/18 दिनांक 14.08.2019 एवं पत्र संख्या-27/सत्तर-3-2019 दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों को नेशनल स्कॉलरशि पोर्टल 2019-20 में संस्थाओं का री-रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है अपने महाविद्यालय/संस्थान का नेशनल स्कॉलरशि पोर्टल 2019-20 में संस्थाओं का री-रजिस्ट्रेशन नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
03. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, वेबसाइट

कुलसचिव

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी नेस्ट
पत्रांक 3004 दिनांक 20/11/19

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

विषय- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2019-20 में संस्थाओं का री-रजिस्ट्रेशन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-भा0स0-28/सत्तर-3-2019-07(47)/18, दिनांक 14.08.2019 एवं पत्र संख्या-भा0स0-27/सत्तर-3-2019, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.07.2019 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रगति की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के अर्द्धशसकीय पत्र संख्या-12011/02/2019-डीबीटी, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्रदेश के संस्थानों/स्कूलों का री-रजिस्ट्रेशन कराए जाने के पुनः निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के छात्रों के स्कॉलरशिप प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

3- इस सम्बन्ध में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2019 की ~~छायाप्रति~~ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 29.11.2019 के प्रस्तर-4 के अनुसार निदेशालय स्तर से नोडल अधिकारी एवं जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को नामित करने तथा प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही कर एक सप्ताह में आख्या संकलित रूप से शासन को शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-भा0स0-43(1)/सत्तर-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से कृत कार्यवाही की अद्यतन सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

9 (श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Tel : 23017075
Telefax : 23018949
Email : secypg@nic.in

(राजेश कुमार)
मुख्य सचिव/सचयवेव जयते
उत्तर प्रदेश शासन

NEW DELHI - 110004

संख्या-3170-44/703-2019

November 29, 2019

D. O. No. D-12011/02/2019-DBT

Dear Sir,

This is in continuation of my earlier D.O. letter dated 9th October, 2019 followed by Joint Secretary (DBT) D.O. letter dated 29th October, 2019 intimating the progress on re-registration of Institutes of Uttar Pradesh on National Scholarship Portal (NSP) and requesting your personal intervention to expedite the process. In spite of several efforts, Uttar Pradesh's progress is less than satisfactory.